

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, भीलवाड़ा

पीठासीन अधिकारी-आव्हान निवृत्ति सोमनाथ (आई.ए.एस.)

प्रकरण संख्या
247/2024

दायर दिनांक
31.05.2024
उनवान

निर्णय दिनांक
10.06.2024

1. हजारि पिता किशोर बलाई उम्र वयस्क निवासी नौगांवा तह0 एवं जिला भीलवाड़ा

बनाम

प्रार्थी

1. लेहरू पिता उंकार बलाई निवासी नौगांवा तह0 एवं जिला भीलवाड़ा राज0
2. मांगी लाल पिता हजारि बलाई उम्र वयस्क निवासी नौगांवा तह0 एवं जिला भीलवाड़ा
3. शिवराज पिता मथुरा जाट उम्र वयस्क निवासी नौगांवा तह0 एवं जिला भीलवाड़ा
4. नारायण पिता कालू बलाई उम्र वयस्क निवासी नौगांवा तह0 एवं जिला भीलवाड़ा
5. नारायण पिता शंकर जाट उम्र वयस्क निवासी नौगांवा तह0 एवं जिला भीलवाड़ा
6. किशन पिता शंकर जाट उम्र वयस्क निवासी नौगांवा तह0 एवं जिला भीलवाड़ा
7. भैरू लाल पिता सुवालाल नट जाति नट उम्र वयस्क निवासी आजादनगर तह0 एवं जिला भीलवाड़ा
8. राकेश कुमार नाथू लाल उम्र वयस्क निवासी पुर तह0 एवं जिला भीलवाड़ा राज0
9. सुरेश चन्द्र पिता प्रेम लाल रेगर उम्र वयस्क निवासी नौगांवा तह0 एवं जिला भीलवाड़ा राज0 हाल निवासी चारभुजा भंगार के पास भीलवाड़ा
10. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार भीलवाड़ा राज0

-विपक्षीगण

उपस्थित:-अधिवक्ता प्रार्थी शंकर लाल नायक
अप्रार्थी संख्या 01 से लगायत 09 उपस्थित नहीं

-: प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111 व 128 राज0 भू-राजस्व अधिनियम :-

-: निर्णय :-

संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थी ने अप्रार्थीगण के विरुद्ध प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111 व 128 राज0 भू राजस्व अधिनियम, 1956 प्रस्तुत कर निवेदन किया कि मौजा नौगांवा प0ह0 भोपालगढ भू-अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र पुर तहसील व जिला भीलवाड़ा की जमाबन्दी संवत 2070-2073 के खाता संख्या 67 की अभिलिखित आराजियात 429, 430, 431, 432, 433, 435, 550, 559 कुल किता 07 कुल रकबा 5.8168 हैक्टेयर भूमि प्रार्थी की खातेदारी एवं कब्जे काशत की है और अप्रार्थीगण जैर-बहस के पडौसी खातेदारान है। प्रार्थी एवं विपक्षीगण की आराजियात के बीच कोई स्थाई सीमा चिन्ह नही होने के कारण विवाद होता रहता है। अतः प्रार्थी खातेदारी आराजियात की मौके पर अभिलेख अनुसार नपती की जाकर मौके पर स्थाई सीमा चिन्ह स्थापित कराना चाहता है। प्रार्थी वर्णित भूमि के खातेदार काशतकार है।


उपखण्ड अधिकारी
भीलवाड़ा

इस पर प्रार्थी के प्रार्थना पत्र को वर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये उपस्थित। वकील प्रार्थी द्वारा प्रकरण का निरतारण आज ही किये जाने की ईशतदुआ की गई। आराजियात की पत्थरगढी कराना चाहते है। हमने प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया। दितन मनन किया एवं पत्रावली को वारते आदेश नियत किया गया।

हमने पत्रावली में प्रार्थीगण की ओर से प्रस्तुत राजस्व अभिलेख नकल जमाबन्दी का अवलोकन किया गया। प्रकरण के तथ्यों व बहस पर मनन किया। प्रार्थीगण आराजियात जैरबहस के खातेदार काश्तकार होकर इन्हे आराजियात जैर बहस की नपती करा सीमांकन (पत्थरगढी) कराने का अधिकार निहित है। उपर्युक्त विवेचन के क्रम में प्रार्थीगण प्रार्थना पत्र में अंकित भूमि के खातेदार होने से सीमांकन (पत्थरगढी) कराने के अधिकारी होने से प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111 व 128 राज0 भू राजस्व अधिनियम, 1956 स्वीकार किया जाता है।

तहसीलदार भीलवाडा को सीमांकन(पत्थरगढी) कराने का आदेश दिया जाता है कि मौजा मौजा नौगांवा प0ह0 भोपालगढ भू-अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र पुर तहसील व जिला भीलवाडा की जमाबन्दी संवत 2070-2073 के खाता संख्या 67 की अभिलिखित आराजियात 429, 430, 431, 432, 433, 435, 550, 559 कुल कित्ता 07 कुल रकबा 5.8168 हैक्टेयर भूमि की पत्थरगढी कार्य संपादन से पूर्व फरिकेन मुकदमा को सूचित किया जावे। पत्थरगढी का आशय पक्षकारों की उपस्थिति में निशानात कायम करने भर से है। इस आदेश में किसी पक्ष की बेदखली व कब्जा देने की कार्यवाही नहीं की जाए तथा किसी न्यायालय का स्थगन न हो तो एवं मौके पर फसल खडी न हो तो बन्दोबस्ती नक्शे अनुसार नपती की जाकर सीमा चिन्ह स्थापित कर सीमांकन(पत्थरगढी) हेतु तहसीलदार भीलवाडा को 1000-00 अक्षरे एक हजार रूपये शुल्क पर मौका कमिश्नर नियुक्त किया जाता है, कमिश्नरी शुल्क रिकार्ड विधिवत संधारित किया जाकर पालना रिपोर्ट मय पर्चा मौका आगामी 15 दिवस में आवश्यक रूप से पेश करे, तथा कमिश्नरी फीस प्रार्थीगण से मौके पर प्राप्त करे। तहसीलदार भीलवाडा को तहरीर जारी करे।

पत्रावली की निर्णित इन्द्राज की जाकर बाद आवश्यक कार्यवाही अभिलेखागार में भिजवाई जावे। निर्णय आज दिनांक 10.06.2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।


(आब्द निवृत्ति सोमनाथ)
उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी
भीलवाडा
भीलवाडा